

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : **UPFS/2025/153131/VRN/VARANASI/4776/CFO**

दिनांक : **16-04-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SURAJ ENCLAVE** पता **492 KA , 492 KHA, MARHAWA, VARANASI** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **3360.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **11463.09** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SURAJ ENCLAVE	13	1	38.38 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SURAJ ENCLAVE** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SURAJ ENCLAVE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : निरीक्षण अधिकारी की संसुति सहित आख्याके अनुसार यह प्रोविजनल प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। भवन निर्माण शुरू करने से पहले भवन निर्माण कर्ता/ अर्चेटेक्ट / भवन स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी की सत्ता प्राधिकारी से भवन निर्माण की अनुमति लेा भवन का निर्माण प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार करने के बाद एवं सभी प्रस्तावित अग्निसुरक्षा मानकों को पूर्ण कर के अग्निशमन पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा/ अग्निशमन पूर्णता प्रमाण पत्र के प्राप्त किये बिना, भवन में कोई आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधि चलाना पूर्ण प्रतिबंधित होगा



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Anand Singh Rajput

2518B5B062AB2EA8F865E22969E056F243FEC0C0

21-04-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **21-04-2025**
स्थान : **VARANASI**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.